दिनांक 14.05.2024
प्रेस विज्ञप्ति 14/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों के साथ भेंटवार्ता

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 से आज दिनांक 14.05.2024 को पुलिस मुख्यालय में उ0प्र0 संवर्ग (2022 बैच) के 14 प्रशिक्षु आई0ए0एस0 अधिकारियों द्वारा शिष्टाचार भेंट की गयी।

उक्त प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों द्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुरूप पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली से भिज्ञ होने एवं डीब्रीफिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस मुख्यालय में भेंटवार्ता, भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु आगमन किये।

इस अवसर पर प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों द्वारा पुलिस मुख्यालय स्थित विभिन्न इकाईयों यथा कानून व्यवस्था, प्रशिक्षण निदेशालय, सोशल मीडिया सेंटर तथा यूपी–112 मुख्यालय एवं महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन/1090, उ0प्र0 लखनऊ में भ्रमण कर वरिष्ठ अधिकारियों व स्टाफ के साथ पुलिस कार्यप्रणाली के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुरूप प्रतिभाग किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा भेंटवार्ता के दौरान प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों के जिज्ञासा भरे प्रश्नों का उत्तर देते हुये उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक रूल्स एण्ड मैनुअल, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण निदेशालय, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था एवं अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे।

<u>पुलिस मुख्यालय में स्वेच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन</u>

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशन में आज दिनॉकः 14.05.2024 को पुलिस मुख्यालय (सिग्नेचर बिल्डिंग) गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ में डा0 राममनोहर लोहिया चिकित्सालय के ब्लड बैंक द्वारा स्वेच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

स्वेच्छिक रक्तदान शिविर में **श्री अमिताभ यश**, अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, श्री प्रशान्त कुमार–।।, पुलिस महानिरीक्षक ई0ओ0डब्लू सहित पुलिस की विभिन्न इकाइयों में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उत्साहपूर्वक रक्तदान किया गया।

जनपद सहारनपुर/थाना रामपुर मनिहारान

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 02 ट्राली**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 महिन्द्रा ट्रैक्टर बरामद**

दिनांक 14.05.2024 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मल्हीपुर अण्डरपास के पास पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त फिरोज को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। दो अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 ट्राली, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 महिन्द्रा ट्रैक्टर बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.01.2024 को थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद ट्राली चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानो में गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फिरोज निवासी ग्राम सावंतखेडी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 02 ट्राली।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 महिन्द्रा ट्रैक्टर।

जनपद झांसी/थाना बबीना

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **06 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **02 जीवित कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 14.05.2024 को थाना बबीना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम खिरकन के जंगल से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 06 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 02 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद झॉसी व म0प्र0 के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बबीना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अर्जुन निवासी खिरकन थाना बबीना जनपद झांसी।

बरामदगी

1–06 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–02 जीवित कारतूस विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना रामगढ़

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **600 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनांक 14.05.2024 को थाना रामगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोहिनूर तिराहा के पास से अभियुक्त साकमर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार

अभियुक्त के कब्जे से 600 ग्राम अवैध चरस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना रामगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साकमर निवासी गली नं0–20 कश्मीरी गेट थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–600 ग्राम अवैध चरस।

- **जनपद ललितपुर/थाना मड़ावरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद ललितपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद ललितपुर द्वारा थाना मड़ावरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–हरलाल उर्फ हल्ला 2–कोमल को आजीवन कारावास व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अमरोहा/थाना नौगावां सादात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना नौगावां सादात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/307/364/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शेरसिंह को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद चित्रकूट/थाना राजापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 33–33 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/307/149/364 भादवि व 12 डीए एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–शिवकुमार 2–बालुम उर्फ बालम 3–दुर्गा 4–जयनारायण को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 33–33 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 05 करोड़ 04 लाख 34 हजार 556 रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस ने अभियुक्त 1–सोनू गुप्ता उर्फ शिवकुमार उर्फ शिवप्रकाश 2–रामप्रकाश उर्फ प्रांशू गुप्ता पुत्रगण दिनेश कुमार गुप्ता उर्फ साधू निवासीगण मोहल्ला चॉदथोक कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर मूलपता–ग्राम गौरीकला थाना जसपुरा जनपद बांदा 3–उमाकान्त गुप्ता पुत्र रामसजीवन निवासी मोहल्ला चॉदथोक कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर मूलपता–ग्राम रैपुरा थाना जसपुरा जनपद बांदा 4–रिजवान उर्फ गुड्डू पुत्र नाजिम खॉन निवासी मोहल्ला चॉदथोक कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर द्वारा अपने परिवारीजन के नाम पर अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 05 करोड़ 04 लाख 34 हजार 556 रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

<u>एसटीएफः फर्ज़ी काल सेन्टर खोलकर विदेशी हैकरों व साइबर फ्राडो द्वारा संचालित किये जा रहे फर्ज़ी टेलीग्राम आईडी द्वारा ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम तैयार कर भोले–भाले लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले संगठित गिरोह का सरगना गिरफ्तार।</u>

दिनांक 13–05–2024 को एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ को फर्ज़ी काल सेन्टर खोलकर व विदेशी हैकरों व साइबर फ्राडो द्वारा संचालित किये जा रहे https://accsmarket.com/ के माध्यम से फर्ज़ी टेलीग्राम आईडी प्राप्त कर ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम तैयार कर भोले–भाले लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले संगठित गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः</u>

1– मो0 दानिश पुत्र मो0 असलम नि० 14/3 इंदिरा नगर, लखनऊ मूल निवासी–9 ए बेली रोड, नई कटरा, प्रयागराज।

<u>बरामदगीः–</u>

1– 2 अदद लैपटॉप।

2– 2 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः—

दिनांक 13—05—2024 समय 20:55 बजे कार्यालय संख्या 06 ओम प्लाज़ा अपार्टमेंट, सेक्टर—17, इंदिरा नगर, लखनऊ।

विगत काफी दिनों से एस0टी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ को फर्ज़ी काल सेन्टर खोलकर व विदेशी हैकरों व साइबर फ्राडो द्वारा संचालित किये जा रहे https://accsmarket.com/ के माध्यम से फर्ज़ी टेलीग्राम आईडी प्राप्त कर ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम तैयार कर भोले—भाले लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले संगठित गिरोह के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन से दिनांक 13—05—2024 को मुखबिर ख़ास से सूचना प्राप्त हुयी की फर्ज़ी काल सेन्टर खोलकर व विदेशी हैकरों व साइबर फ्राडो द्वारा संचालित किये जा रहे https://accsmarket.com/ के माध्यम से फर्ज़ी टेलीग्राम आईडी प्राप्त कर ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम तैयार कर भोले—भाले लोगो के साथ धोखाधड़ी करने वाले संगठित गिरोह का सरगना मो0 दानिश उपरोक्त ओम प्लाज़ा अपार्टमेंट के कार्यालय संख्या 06 में मौजूद है। इस सूचना पर उ0नि0 अतुल चतुर्वेदी मय उ0नि0 प्रदीप सिंह, मु0आ0 नीरज पाण्डेय, मु0आ0 रामनिवास शुक्ला, मु0आ0 राजीव कुमार, आ0 अमित त्रिपाठी एवं आ0 अमर श्रीवास्तव मय वाहन चालक त्रिदेव मिश्रा को साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर उक्त अभियुक्त को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त मो0 दानिश उपरोक्त ने बताया कि हम लोग विदेशी हैकरों व साइबर फ्राडो द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाली वेबसाइट https://accsmarket.com/ से ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल खरीदते हैं और टेलीग्राम व डार्कवेब के जरिये कई विदेशी हैकरों व साइबर फ्राडो के सम्पर्क में है। खरीदी गयी टेलीग्राम आईडी से वह टेलीग्राम चैनल ग्रुप बनाकर उनमे फर्ज़ी वेबसाइट व लिंक बनाकर लोगो को ऑनलाइन खरीददारी

करने के लिए व ऑनलाइन लूडो किंग एप पर बेटिंग करने के लिए इनवाईट करता था। इसके लिए उसने कई सारे ऑनलाइन **PAYTM, GOOGLEPE, PHONEPE** के पेमेंट के फर्ज़ी स्नैपशॉट बनाकर इन फर्ज़ी आइडिओ पर बने टेलीग्राम चैनलों पर भेजा जाता है। जिससे ग्रुप में जुड़े लोग आकर्षित होकर बेटिंग करते है तत्पश्चात उनका पूरा पैसा ट्रांसफर करा लिया जाता है। मो0 दानिश द्वारा बताया गया कि उस पर पूर्व में भी ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में बंगलौर साइबर द्वारा मुकदमा दर्ज है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना गाजीपुर, कमिश्नेट लखनऊ में मु0अ0सं0 198/24 धारा–419/420/468 आईपीसी व 66 सी व डी आईटी एक्ट पंजीकृत करा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

आपराधिक इतिहासः–

1– मु0अ0सं0 442/2023 धारा–419/420 भा0द0वि0 66 सी व 66 डी आईटी एक्ट थाना **CEN** बंगलौर।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह की 01 महिला तस्कर 02.00 किग्रा0 अफीम के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 13-05-2024 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह की 01 महिला तस्कर को 02.00 किग्रा0 अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 30 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरणः–

प्रमिला देवी पत्नी स्व0 दीवाली महतो, निवासी बडकाकांना, थाना पतरातू, जनपद रामगढ़ झारखण्ड।

बरामदगीः–

1- 02.00 किग्रा0 अवैध मादक पदार्थ अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 30 लाख रूपये)

2- 01 अदद मोबाईल फोन।

3- 2080/– रूपये नगद।

<u>गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकः–</u>

चारबाग रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नं0–2–3 के पूर्वी छोर पर, जनपद लखनऊ। दिनांक 13-05-2024 समय–17-25 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में श्री विमल कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह की एक महिला सदस्य हजारीबाग (झारखण्ड) से अफीम की खेप लेकर ट्रेन द्वारा लखनऊ होते हुए बरेली जायेगी। इस सूचना पर उ0नि0 सत्यप्रकाष सिंह के नेतृत्व में मु0आ0 शमशेर सिंह, मु0आ0 भूपेन्द्र सिंह, मु0आ0 भूपेन्द्र सिंह द्वितीय, आरक्षी अंकित पाण्डेय, आरक्षी अंकित सिंह व मु0आ0 चालक प्रमोद कुमार सिंह की टी द्वारा एनसीबी लखनऊ एवं जीआरपी लखनऊ से महिला पुलिस को साथ लेकर चारबाग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्ता ने पूछताछ पर बताया कि वह अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह की सक्रिय सदस्य है। इस गिरोह का सरगना झारखण्ड निवासी ओमवीर, जो वर्तमान समय में बरेली में रहता और अवैध मादक पदार्थो की तस्करी कराता है। ओमवीर झारखण्ड के तस्करों से सम्पर्क करके अफीम मंगाता है, जिसे बरेली जनपद के आस–पास के जनपदों एवं पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में अपने

कैरियरों के माध्यम से इसकी सप्लाई कराता है। इसे झारखण्ड से बरेली माल पहुॅचाने के एवज में प्रति चक्कर रू0 10 हजार मिलता है।

गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध एन0सी0बी0 लखनऊ द्वारा केस सं0 12/2024 धारा धारा– 8/18/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही एन0सी0बी0 द्वारा की जायेगी।

———–